

कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक:


1324

दिनांक:- 21/10/16

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2016/2 वीं बैठक दिनांक 22.09.2016 को प्रातः 11.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.	01	-	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 24.06.2016 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की बैठक दिनांक 24.06.2016 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
2.	02	पश्चिम	माली संस्थान जोधपुर, अध्यक्ष देवीचन्द देवड़ा पुत्र बीजाराम, राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 932/747 के पुनर्गठित भूखण्ड सं. सी-1 व सी-1ए क्षेत्रफल 658.09 वर्गज/550.24 वर्गमीटर पर व्यवसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् व्यवसायिक उपयोग के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. वास्तुविद् का शपथ-पत्र एवं पार्किंग हेतु शपथ-पत्र लिया जावे। 3. जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रिजन भवन) विनियम 2013 के बिन्दु सं. 12.3.1 में वर्णित प्रावधानानुसार विकलांगों हेतु प्रावधान मानचित्र में दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र लिये जावे। 4. भवन में प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भू-जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जावे। 5. उपायुक्त जोन से स्वामित्व/लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 6. समिति द्वारा लिये गये नितिगत निर्णय के क्रम में प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी स्वयं श्रम विभाग में जमा कराकर सूचित करेगा। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने सम्स्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संवेय शुल्क जमा होने के पश्चात् व्यवसायिक उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
3.	03	दक्षिण	महाप्रबन्धक एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरलस इण्डिया लिमिटेड के विवेक विहार योजना, सेक्टर-बी, जोधपुर के भू-खण्ड क्षेत्रफल 1560.00 वर्गमीटर पर संस्थागत उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् संस्थानिक उपयोग के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की उंचाई 15 मीटर से अधिक है, अतः अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, प्रार्थी एवं वास्तुविद् का भवन में भूकम्प रोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. जोधपुर विनियम 2013 के बिन्दु सं. 10.1.12 के अनुसार भू-खण्ड के अग्र भाग में 6.00 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्री बनाई जाये, ताकि मुख्य सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो। 4. वास्तुविद् का शपथ-पत्र एवं पार्किंग हेतु शपथ-पत्र लिया जावे। 5. भवन में प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भू-जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जावे। 7. उपायुक्त जोन से स्वामित्व/लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 8. समिति द्वारा लिये गये नितिगत निर्णय के क्रम में प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रमिक उपकर प्रार्थी स्वयं श्रम विभाग में जमा कराकर सूचित करेगा। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने सम्स्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र</p>



 20/10

				प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् संस्थागत उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
4.	04	दक्षिण	मैसर्स वीतराग बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड के मूल भूखण्ड-खसरा नं. 66/2, 66/10, व 628/65 ग्राम पाल, क्षेत्रफल 31067.35 वर्गगज/25985.71 वर्गमीटर में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।	प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्रों का अनुमोदन दिनांक 23.08.2013 को किया गया था। भवन मानचित्र समिति (बीपी) की दिनांक 24.06.2016 में प्रस्तुत किया जाकर प्रश्नगत प्रकरण में अनुमोदित EWS फ्लैट्स का निर्माण नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया एवं दिनांक 11.08.2016 को प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाकर नगरीय विकास, आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(77)नवि/3/ 2010 पार्ट-IV दिनांक 06.06.2015 के निम्नानुसार प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गये। 1. प्रकरण में 200 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से शास्ति ली जावे। 2. EWS/LIG हेतु आरक्षित एफ.ए.आर. के समानुपात में एफ.ए.आर. मूल परियोजना के अन्य आवासों के रूप में तब तक रहन रखा जावेगा, जब तक EWS/LIG आवासीय इकाईयों का कब्जा प्राधिकरण को नहीं सौंपा जावे। 3. शास्ति राशि जमा होने के पश्चात पुनः प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हो।
5.	05	दक्षिण	प्रदीप एण्ड कम्पनी, ज्ञान स्टोरेज, अशोक कुमार एण्ड कम्पनी रणजीत ब्रदर्स, विमल किशोर राठी, के मूल भूखण्ड-खसरा नं. 775/63, 775/69, 1282/775, 1286/775, 1284/775, 1285/775, 1287/775 के अनुमोदित योजना के भू-खण्ड सं. 1 ग्राम जोधपुर (शौभावतो की ढाणी) क्षेत्रफल 21276.34 वर्गमीटर में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।	प्रश्नगत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्रों का अनुमोदन दिनांक 24.02.2014 को किया गया था। प्रार्थी द्वारा मुख्य योजना की एवज में EWS फ्लैट्स का ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 157 पर निर्माण अन्यत्र किये जाने हेतु आवेदन किया है। जिस अन्य भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा EWS/LIG प्रस्तावित किये गये थे, उसका आज दिनांक तक जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा जारी नहीं है। नगरीय विकास, विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 3(77)नवि/3/ 2010 पार्ट-IV दिनांक 06.06.2015 के क्रम में निम्नानुसार निर्णय लिये गये - 1. प्रकरण में 200 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से शास्ति ली जावे। 2. EWS/LIG हेतु आरक्षित एफ.ए.आर. के समानुपात में एफ.ए.आर. मूल परियोजना के अन्य आवासों के रूप में तब तक रहन रखा जावेगा, जब तक EWS/LIG आवासीय इकाईयों का कब्जा प्राधिकरण को नहीं सौंपा जावे। 3. शास्ति राशि जमा होने के पश्चात पुनः प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हो।
6.	06	दक्षिण	श्री मुकेश मंगल पुत्र श्री पोहकरमल, श्रीमति किर्ती मंगल पुत्री श्री मुकेश मंगल के भूखण्ड राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 867/751 के पुनर्गठित भू-खण्ड संख्या 01 व 30 क्षेत्रफल 666.66 वर्गगज/557.42 वर्गमीटर पर आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र के संबंध में निम्नांकित कमी पूर्ती के पश्चात पुनः प्रस्तुत हो। 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जीविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन मानचित्र में भूखण्ड के अग्रभाग में बाउंड्री वाल नहीं दर्शाकर सड़क से सीधे कार पार्किंग दर्शाई गई है। अतः मानचित्र में भूखण्ड के अग्रभाग में बाउंड्री वाल दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र लिये जावे। 3. वास्तुविद द्वारा शपथ-पत्र एवं पार्किंग हेतु शपथ-पत्र लिया जाना होगा। 4. प्रस्तावित भवन मानचित्र में बेसमेन्ट केवल दोपहिया पार्किंग दर्शायी जाकर केवल एक ही रेम् प्रस्तावित किया गया है अतः बेसमेन्ट में केवल दो पहिया पार्किंग हेतु शपथ-पत्र लिया जाना होगा। 5. भवन में प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भू-जल विभाग से अनापत्ति पत्र प्रार्थी द्वारा भू जल विभाज से प्राप्त कर लिया गया है। जो कि पत्रावली में संलग्न है। 6. उपायुक्त जोन से स्वामित्व/लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावे।

20/10
20/10

				7. समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी स्वयं श्रम विभाग में जमा कराकर सूचित करेगा।
7.	07	दक्षिण	श्री पदमराज अब्बानी पुत्र श्री पुखराज अब्बानी के राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 1096/1601 के भूखण्ड संख्या 7/5 क्षेत्रफल 4673.31 वर्गगज (3907.36 वर्ग मीटर) में बहिस्सा भूखण्ड संख्या 7/5 ए व भूखण्ड संख्या 7/5 बी प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 2336.65 वर्गगज (1953.68 वर्ग मीटर) का उपविभाजन बाबत।	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 1096/1601 के भूखण्ड संख्या 7/5 क्षेत्रफल 4673.31 वर्गगज (3907.36 वर्ग मीटर) में से भूखण्ड संख्या 7/5 ए व भूखण्ड संख्या 7/5 बी प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 2336.65 वर्गगज (1953.68 वर्ग मीटर) का उपविभाजन हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ है। उपरोक्त भूखण्ड 60 फीट चौड़ाई की सड़क पर स्थित है। उपरोक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। अतः उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा प्रकरण में राज्य सरकार से पूर्वानुमति ली जाकर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
8.	08	दक्षिण	श्री ओसिया कॉर्पोरेशन जरिये श्री नरेन्द्र बुधवानी पुत्र श्री कन्हैयालाल बुधवानी के भूखण्ड-खसरा नं. 319/7 ग्राम पाल में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।	प्रश्नगत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्रों का अनुमोदन दिनांक 23.08.2013 को किया गया था। भवन मानचित्र समिति (बीपी) की दिनांक 24.06.2016 में प्रस्तुत किया जाकर प्रश्नगत प्रकरण में अनुमोदित EWS फ्लैट्स का निर्माण नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया एवं दिनांक 08.08.2016 को प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। नगरीय विकास, विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 3(77)नवि/3/ 2010 पार्ट-IV दिनांक 06.06.2015 के क्रम में निम्नानुसार निर्णय लिये गये - 1. प्रकरण में 200 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से शास्ति ली जावे। 2. EWS/LIG हेतु आरक्षित एफ.ए.आर. के समानुपात में एफ.ए.आर. मूल परियोजना के अन्य आवासों के रूप में तब तक रहन रखा जावेगा, जब तक EWS/LIG आवासीय इकाईयों का कब्जा प्राधिकरण को नहीं सौंपा जावे। 3. शास्ति राशि जमा होने के पश्चात पुनः प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हो।
9.	09	दक्षिण	श्री टीकु सिंह चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी के राजस्व ग्राम पाल (शुभम फार्म) के खसरा नं. 72, 72/1, 72/2 व 72/3 के एकल भूखण्ड संख्या 33, क्षेत्रफल 1086.88 वर्गगज (926.70 वर्गमीटर) पर आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र में निम्नांकित अपेक्षित पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया। 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. वास्तुविद् द्वारा शपथ-पत्र एवं पार्किंग हेतु शपथ-पत्र लिया जावे। 3. नियमानुसार पार्किंग, पेड़ तथा सौर ऊर्जा उपकरण मानचित्र में दर्शाया जावे। 4. कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड की सीमा से लगभग 5'-0" की दूरी पर 132 के.वी. क्षमता की विद्युत लाईन स्थित है। अतः नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 18(44) नवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार 132 के.वी. क्षमता की विद्युत लाईन के मध्य रेखा से 13.5 मीटर दूरी छोड़कर भवन निर्माण अनुज्ञेय किया जा सकता है अतः उक्त के परिपेक्ष में संशोधित मानचित्र लिये जाटे। 5. उपायुक्त जोन से स्वामित्व/लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 6. समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी स्वयं श्रम विभाग में जमा कराकर सूचित करेगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित करने हेतु बैठक में रखे।

20/10

20/10

10.	10	पश्चिम	प्रधान सम्पादक, दैनिक नवज्योति, राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नं. 91 के क्षेत्रफल 3605.55 वर्गगज/3014.60 वर्गमीटर पर संस्थागत उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. जोधपुर विनियम 2013 के बिन्दु सं. 10.1.12 के अनुसार भू-खण्ड के अग्र भाग में 6.00 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्री बनाई जाये, ताकि मुख्य सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो। 3. उपायुक्त जोन से स्वामित्व/लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 4. समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रमकर प्रार्थी स्वयं श्रम विभाग में जमा कराकर सूचित करेगा। 5. भवन में प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भू-जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने समस्त वंछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् संस्थागत उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जाते।</p>
11	11	पश्चिम	श्रीमती आशा बोथरा, सचिव मीरां संस्थान, राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नं. 72 के एकल संस्थागत भूखण्ड के क्षेत्रफल 8.05 बीघा /13354.18 वर्गमीटर संस्थागत उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् संस्थागत उपयोग के भवन मानचित्र निम्नांकित कमियों की पूर्ति करवाने को निर्देशित किया गया।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सलंगन आवटन पत्र एवं पट्टा विलेख अनुसार आवेदित भूखण्ड खसरा नं. 72 का क्षेत्रफल 8.05 बीघा /-3354.18 वर्गमीटर है, जांच शुल्क हेतु जारी मांग पर में भू भूखण्ड का क्षेत्रफल 669.00 वर्गमीटर अंकित है। अतः आवेदक से अतिरिक्त क्षेत्रफल हेतु जांच शुल्क लिया जावे। 2. संबंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रस्तुत नौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड पर छत लेवल तक का निर्माण किया हुआ है। अतः भवन नियमितकरण नियम-2014 अनुसार बिना स्वीकृती निर्माण हेतु शुल्क लिया जाना होगा। 3. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 4. जोधपुर विनियम 2013 के बिन्दु सं. 10.1.12 के अनुसार भू-खण्ड के अग्र भाग में 6.00 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्री बनाई जाये, ताकि मुख्य सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो। 5. उपायुक्त जोन से स्वामित्व/लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 6. समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रमकर प्रार्थी स्वयं श्रम विभाग में जमा कराकर सूचित करेगा। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने समस्त वंछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् पत्रावली पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।</p>
12.	2	पश्चिम	अरिहन्त सुपरस्ट्रक्चर लि. राजस्व ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 667, 668, 670, 671, 673 से 677 के भूखण्ड क्षेत्रफल 99599.74 वर्ग मीटर पर ग्रुपहाउसिंग (आवसीय बहुमंजिला फ्लैट्स) उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् ग्रुपहाउसिंग (आवसीय बहुमंजिला फ्लैट्स) उपयोग के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र लिया जाना अपेक्षित। 2. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. उपायुक्त जोन से स्वामित्व/लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 4. प्रकरण में एमओयू की शर्त संख्या 12 के अनुसार भवन अनुमोदन शुल्क देय नहीं होगा। 5. समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रमकर प्रार्थी स्वयं श्रम विभाग में जमा कराकर सूचित करेगा।


20/10
20/10


				<p>6. भवन में प्रस्तावित बेसमेन्ट हेतु भू-जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जावे।</p> <p>7. प्रस्तुत भवन मानचित्र में EWS/LIG ब्लॉक के साथ तीन मीटर का सेटबेक छोड़ते हुए मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। अतः जोधपुर भवन नियम 2013 के नियमानुसार 9 मीटर सेटबेक छोड़ते हुए संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये जाने होंगे। साथ ही प्रस्तावित भवन मानचित्र में ब्लॉक बी में प्रस्तावित सीडी (Staircase) को में (Fire Staircase) के रूप में तीन साईड से खुला रखते हुए मानचित्र में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा।</p> <p>8. योजना में प्रस्तावित EWS/LIG के कुल 96 ईकाइयों को योजना के कुल एफ.ए.आर. से मुक्त रखा गया है। आवासीय ईकाइयों का कब्जा प्राधिकरण को सौंपा जाना होगा। जिनका निर्माण 3 वर्ष के भीतर किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने समस्त वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् आवासीय बहुमंजिला फ्लैट्स उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
13.	13.	पश्चिम	<p>मैसर्स विनियोग एण्ड इन्फ्रा कॉ. भागीदार श्री तरुण प्रेम श्रीवास्तव श्री प्रेम शंकर, राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 700/2, 700/3, 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709, 710 व 711 में स्थित भूखण्ड संख्या 77 से 89, 115 से 145, 170 से 186, 217 से 220, उक्त भूखण्डों के सामने की सड़के व योजना में सम्मिलित अन्य भूमि क्षेत्रफल 22017.53 वर्गमीटर (पुनर्गठित) भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 18.12.2014 में स्वीकृत EWS/LIG फ्लैट्स के सम्बन्ध में।</p>	<p>सचिव द्वारा समिति को अवगत करवाया गया की प्रश्नगत प्रकरण में वर्तमान में जांच लम्बित है।</p> <p>अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया की, प्रश्नगत प्रकरण में सचिव जोविप्रा, जोधपुर द्वारा जांच के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।</p>
14	14	-	<p>300 वर्गमीटर एवं अधिक व 500 वर्गमीटर तक भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण एवं अमानत राशि के संबंध में।</p>	<p>रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण एवं अमानत राशि के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया की रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण एवं अमानत राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम 2013 के बिन्दु सं. 14.14 में अंकित तालिका अनुसार राशि ली जावे।</p>
15	15	-	<p>नीतिगत निर्णय</p>	<p>1. मांग राशि समय पर जमा करने बाबत -</p> <p>(1) समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आज दिनांक तक जितने भूखण्डों के भवन मानचित्र अनुमोदित कर मांग पत्र जारी किये गए हैं उन प्रकरणों में 15.11.2016 तक मांग राशि जमा कराने हेतु अंतिम अवसर दिया जावे। उसके पश्चात् भी मांग राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो जांच राशि जब्त कर अनुमोदन के निर्णय को निरस्त करते हुए पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी जावे व आगामी 6 माह में नई पत्रावली स्वीकार न की जावे।</p> <p>(2) नए प्रस्तावित प्रकरणों में मांग पत्र जारी दिनांक से 2 माह के भीतर मांग राशि जमा नहीं करने पर जांच राशि जब्त करते हुए अनुमोदन के निर्णय को निरस्त करते हुए पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी जावे तथा 6 माह तक प्रश्नगत भूखण्ड आवेदन स्वीकार नहीं किया जावे।</p>


20/10

				2. श्रमिक उपकर के संबंध में - समिति को अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में श्रमिक उपकर लिया जाता है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की दर से प्रार्थी स्वयं श्रम विभाग में श्रमिक उपकर जमा कर रसीद प्रस्तुत करेगा। इसके पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जा सकेंगे।
--	--	--	--	--

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



 (मुकेश मिताल)
 निदेशक आयोजना
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर


 (अरुण पुरोहित)
 सचिव
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर


 (के.सी.मीना)
 आयुक्त
 जोधपुर विकास प्राधिकरण
 जोधपुर
 20.10.16

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 2016/2 वीं बैठक दिनांक 22.09.2016 को प्रातः 11.00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयुक्त महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 7. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 8. निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |



निदेशक (आयोजना), एव
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

क्रमांक :- 1325 - 1332

दिनांक:- 21/10/16

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
9. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करे।


(मुकेश मिश्रा)
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर